

भारत सरकार
कृषि एवं कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 231
05 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषय: बागवानी फसलों को बढ़ावा देना

231. श्री बिद्युत बरन महतो
श्री नारणभाई काछड़िया:
श्री दिलीप शङ्कीया:
श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगारे:
श्री अरुण साव:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों के लिए रोगमुक्त गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए कोई प्रयास किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा बागवानी के विकास और सुदृढीकरण के लिए विशेषकर आत्मनिर्भर स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम हेतु अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग) : उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों की रोगमुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 50% ऋण सहायता के साथ 7 वर्ष की अवधि (2024-30) के लिए 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर "आत्मनिर्भर क्लीन प्लांट प्रोग्राम" शुरू किया है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने स्वच्छ संयंत्र केंद्रों की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के साथ परामर्श मिशन का संचालन किया तथा इस कार्यक्रम के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है जिसमें फसल विशिष्ट आईसीएआर संस्थानों में 7 स्वच्छ संयंत्र केंद्रों की पहचान की गई है।
